उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–28/2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी
–::आदेश::–

12.10.2020 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो के अधियाचना सं0–18/2019–20 दिनांक–20.11.2019 के आलोक में यह वाद Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार (प्रथम पक्ष) की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वाद का सार यह है कि दुग्दा थाना कांड सं0–54/2018, दिनांक–17.12.2018, धारा–414/379/34 भा0द0वि0 एवं 13 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त भण्डारित कच्चा कोयला 12 टन, सॉफ्ट कोक लगभग 103 टन तथा Slurry (Washery Product) करीब 60 टन को बिना वैध डीलर्स निबंधन के कोयला खनिज का भण्डारण करने के आरोप में मौजा जाहरागढ़ा स्थित महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता श्री नित्यानन्द पाण्डेय, सा0–हरदोवा, पो0–कुरूम्बा, थाना–दुग्दा, जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राज्यसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो के विरूद्ध अवैध रुप से 12 टन कच्चा कोयला, लगभग 103 टन सॉफ्ट कोक तथा Slurry (Washery Product) करीब 60 टन को बिना वैध डीलर्स निबंधन के कोयला खनिज का भण्डारण करने के आरोप में दुग्दा थाना कांड सं0–54/2018, दिनांक–17.12.2018, धारा–414/379/34 भा0द0वि0 एवं 13 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। विपक्षी के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अनुसार दिये गये डीलर लाईसेंस में उल्लेखित नियम एवं शर्तो

का अनुपालन नहीं किया गया है। जैसे कि डीलर द्वारा कोयले का क्रय Valid and legal sources से नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी के द्वारा डीलर्स निबंधन हेतु आवेदन दिनांक–13.12.2018 को दाखिल किया गया है। जबकि उसके पूर्व से ही उनके द्वारा कोयला का भंडारण किया जा रहा है। विपक्षी के द्वारा 45.11 टन कोयला खरीद किये जाने से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है, जबकि घटनास्थल से इससे कई ज्यादा मात्रा में कोयला पाया गया। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो वैध अनुज्ञप्तिधारी है जो नियमानुसार कोयले का भण्डारण कर विधिवत रूप से अपना व्यवसाय का संचालन करते है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत कोयले को वैध रूप से माँ तारा सिंडीकेट, ईश्वरी प्रसाद सिंह, राजेश राम, अनिल सिंह एवं राजमधु सेक्रय किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि Slurry (Washery Product) की खरीद बी0सी0सी0एल से ई0 ऑक्सन के माध्यम से दिनांक–12.11.2018, 15.11.2018 एवं 03.12.2018 को क्रमशः चालान सं0–CC123100, CC123224 एवं 127257 के द्वारा की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा किसी भी तरह का अवैध कोयले का भंडारण नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अनुसार दिये गये डीलर लाईसेंस में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का उलघंन किया गया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो वैध अनुज्ञप्तिधारी है। उनके द्वारा दाखिल दस्तावेज की छायाप्रति के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि नियमानुसार कोयले एवं कोक का भण्डारण किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो के अधियाचना सं0–18 / 2019–20 दिनांक–20.11.2019 को खारिज करते हुए विपक्षी के द्वारा दाखिल लिखित बहस को स्वीकृत किया जाता है। जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो को आदेश दिया जाता है कि दस्तावेज के सत्यापन के उपरान्त भण्डारण

स्थल से जप्त 12 टन कच्चा कोयला, 103 टन साफ्ट कोक तथा Slurry (Washery Product) करीब 60 टन को नियमानुसार विमुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.10.22

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

12.10.22

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.24 20:26:44 +05:30
Location: 192.168.91.234